

प्रेषक

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
रामपुर।

सेवा में

प्रबन्धक

विकास भारती जूहा० स्कूल
शिकारपुर स्वार।

दिनांक: 16-02-2015

पत्रांक / जूहा० स्कूल / 10245-5) / 2014-15

विषय:- अशासकीय नर्सरी/ उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की
मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपको शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18 (20)/91 लखनऊ दिनांक 08-05-13 के प्राविधानों के अन्तर्गत विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम की कक्षा नर्सरी से 8 तक की मान्यता नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के वृष्टिगत औपचारिक मान्यता तीन वर्ष के लिए निम्न प्रतिवन्धों/शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

1. प्री-प्राइमरी से कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षण के लिए उपर्युक्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 की धारा-6 के प्रस्तर-15 में प्रदत्त व्यवस्थानुसार अहंताधारी अध्यापक/अध्यापिका उपलब्ध होना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखा जायेगा कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए कम से कम प्रति कक्षा-कक्ष हेतु विज्ञान और गणित, रामाजिक अध्ययन भाषा से संबंधित शिक्षक उपलब्ध हों, इसके अतिरिक्त बाल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्यानुभव शिक्षण हेतु भी एक-एक शिक्षक उपलब्ध होना चाहिए।
2. विद्यालय के कर्मचारियों के लिये प्रबन्धिकरण द्वारा सेवा नियमावली बनाकर प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें नियुक्ति का प्रकार, परिवीक्षाकाल, स्थाईकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में संप्रिधान एवं विधि समन्त प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया जाना आवश्यक है। सेवा नियमावली में अवकाश, पेशन, घेच्युली, वीमा, पी०एफ० तथा अन्य कर्मचारी कल्याणकारी योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
3. विद्यालय किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह अथवा एरोसिपेशन को लाने पहुँचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।
4. भारत के संविधान में प्राविधिनित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म सम्भाव तथा मानवीय मूल्यों की संप्राप्ति के लिए प्राविधिन समितियों तथा समय-समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
5. विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक किया-कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा। विद्यालय भवन का वाहय रंग सफेद होना चाहिए और अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
6. विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।
7. वैसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से रूचना मार्गे जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निदेशों का पालन विद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

राम

जिलेश्वरी

8/tau.folder/E-

8. विद्यालय द्वारा रु० 5000/- की धनराशि का एक स्थाई कोष बनाया जायेगा और उसे जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम में प्रतिभूत किया जायेगा।
9. विद्यालय द्वारा पंजिकरण शुल्क, स्कूल भवन शुल्क तथा कैपिटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित है।
10. मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं मंहगाई शुल्क गिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापकों/कर्मचारी कल्याणकारी योजना का अशदान वहन करने के लिए पर्याप्त हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा मंहगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
11. मान्यता प्राप्त विद्यालय 25 प्रतिशत अलाभित समूह के गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें।
12. प्री-प्राइमरी/प्राइमरी/जूनियर स्तर के प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र संख्या 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए। विद्यालय में कक्षावार उतने ही छात्र-छात्राओं का प्रवेश दिया जाये जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था हो।
13. विद्यालय के कैचमेंट एरिया में न्यूनतम छात्र संख्या उपलब्ध हो सके। न्यूनतम छात्र संख्या निम्नवत् होना अपेक्षित है :-
- (क) प्री-प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल 275 (10 कक्षायें)
 - अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों से यह अपेक्षित होगा कि एन०री०ई०आर०टी०/एस०री०ई०आर०टी० द्वारा निर्धारित अथवा वैसिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार पठन-पाठन कराया जाय। मान्य पुस्तकों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की पुस्तक का अनुसार पठन-पाठन न कराया जाय और किसी विषेष प्रकाष्ठन की स्टेशनरी का क्य किये जाने हेतु पठन-पाठन न कराया जाय न ही अभ्यास पुस्तिकाओं पर विद्यालयों का नाम मुद्रित कराकर छात्रों पर दबाव न बनाया जाय न ही अभ्यास पुस्तिकाओं पर विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी। क्य हेतु वाध्य किया जाये, अन्यथा ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

उपरोक्त का पूर्णतया अनुपालन करना सुनिष्ठित करें तथा विद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा कूटरचना/तथ्यगोपन/मान्यता की शर्तों में उल्लंघन होने से संबंधित कोई तथ्य सज्जान में पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता का प्रत्याहरण कर लिया जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धन का होगा।

(एस० क० तिवारी)
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
२ रामपुर।

पृ०स० / ज०ह०स्कू०गा० / 2014-15 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सविव, वैसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वैसिक), द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी, रामपुर।
4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, रामपुर।
5. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, रामपुर।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, रामपुर।
7. गार्ड पत्राचाली।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी
रामपुर।

जि०स०श०अ०

११/tau.folder/E:


Manager


Principal
Vikas Bharti School